झारखण्ड सरकार

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड।

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 26.11.2014 को श्री आशीष सिंहमार, अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अध्यक्षता में PCPNDT Act अन्तर्गत छः मासिक प्रशिक्षण का मार्गदर्शिका से संबंधित बैठक राज्य आर0 सी0 एच0 सभागार, नामकुम में आयोजित की गई। इस बैठक में रिम्स राँची , पी0 एम0 सी0 एच0 धनबाद, बी0 जी0 एच0 बोकारो, टी0 एम0 एच0 जमशेदपुर तथा एम0 जी0 एम0 जमशेदपुर के निदेशक/ अधीक्षक, विभागाध्यक्ष Obs & Gynae तथा विभागाध्यक्ष रेडियोलॉजी एवं राज्य स्तरीय परामर्श समिति के सदस्य ने प्रतिभागियो के रूप में भाग लिये।

PCPNDT अन्तर्गत उक्त पाँच संस्थानों को प्रशिक्षण हेतु अधिसूचित किया गया है। भारत सरकार के गजट (9 जनवरी 2014) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी उक्त छह मासिक प्रशिक्षण को करने के लिए पात्र होगा।

डॉ0 सुमन्त मिश्रा, निदेशक प्रमुख ने सभी सदस्यों को PCPNDT Act अन्तर्गत जानकारी दी एवं प्रशिक्षण से संबंधित दिशा निर्देश को झारखण्ड राज्य में अनुपालन हेतु अधिसूचित संस्थानों को मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्य करने को कहा।

डॉ0 विद्या गुप्ता, राज्य समुचित प्राधिकारी ने जानकारी दी कि वर्तमान में 702 अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक राज्य में पंजीकृत है तथा सिविल सर्जन ऐक्ट अन्तर्गत जिला समुचित प्राधिकारी अधिसूचित है।

विभागाध्यक्ष रेडियोलॉजी रिम्स को इस प्रशिक्षण हेतु नोडल घोषित किया गया है। अभियान निदेशक महोदय ने प्रशिक्षण संबंधी वास्तविक प्रशिक्षुओ की संख्या ज्ञात करने हेतु सभी सिविल सर्जन से data लेने की बात कही ताकि प्रशिक्षण की रूप रेखा timeline के अनुसार तैयार की जा सके। प्रशिक्षण को 2017 तक पूरा करने हेतु एक कमिटि का गठन किया गया जिसमें सभी संस्थानों के Obs & Gynae तथा Radiology के विभागाध्यक्ष एवं अध्यक्ष राज्य परामर्श समिति रहेंगे। यह समिति प्रशिक्षण से संबंधित सभी नियम यथा परीक्षा हेतु प्रश्नावली बनाना संस्थानों में Faculty निश्चित करना एवं अनुश्रवण का कार्य भी करेगी।

अन्त में डॉ0 विद्या गुप्ता द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

डा0 तुनुल हेमरोम
उपनिदेशक,स्वास्थ्य सेवाएँ
IEC Nodal officer